

13.08.25

आज यह पत्रावली पेश हुई व कुल 14  
 पक्ष कारण उपस्थित उन्हें सुना गया।  
 पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों  
 रिपोर्ट एवं जवाब पर ध्यान - पत्र का मूल -  
 भाति अल्पमन किया गया तो पाया गया  
 कि मामि का वार्ड मीटिंग 205 का 13705  
 विभाजन नहीं हुआ है। यह खोले हुए का  
 प्रत्येक इन्च पर बल्य माना जाना चाहिए  
 यह ऐसी खुरद में अना व 2 मं 3 मुकदमा वली  
 नहीं बड़े व कानूनी पेची दली में पड़ा नहीं  
 है। इनकी ध्यान में रखते हुए प्राथमिक  
 पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।  
 अतः प्राथमिक पत्र स्वीकार किया गया  
 है तथा प्रति वार्ड से एक को वा फिलम  
 मूल वाद जाति अल्पमन विवेक दली  
 द्वारा पालन किया जाता है कि कल 2000  
 34 खण्ड 1.30, 37 खण्ड 0.87, 66 खण्ड  
 0.48, 67 खण्ड 0.45. बाकें गाम समेत  
 मुकद व आर 201 खण्ड 1.5 खण्ड  
 0.41, 203 खण्ड 0.06, 48 खण्ड 0.11,  
 62 खण्ड 0.15 बाकें गाम - अल्पमन मुकद  
 तदानीय रूप अल्पमन में वार्ड के निर्दिष्ट  
 हिले को अल्पमन की रिपोर्ट एवं मं  
 को मथा लिखित बनाने रहे।  
 पत्रावली फिलम मुकद होना नकार के  
 अर्थ तथा संलग्न मूल वाद हो।

राधेश्याम शीष  
 उपखण्ड अधिकारी  
 भुसापंडे जिलापुरा